[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 62/2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 10 मार्च, 2025

विषयः आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के एचएसएन के तहत निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा चावल (बासमती और गैर–बासमती) के निर्यात के लिए उप–शीर्षक 1006 की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 19/2024–25 दिनांक 05.07.2024 में निम्नलिखित संशोधन करती हैः

2. निर्यात नीतिगत शर्तों को निम्नलिखित आईटीसी (एचएस) कोड के तहत मौजूदा प्रविष्टियों के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित करके अधिसूचित किया गया हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीतिगत शर्त
1006 2000 1006 3010 1006 3090 1006 4000	गैर–बासमती चावल	i. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड लिचटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड को निर्यात की अनुमति निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के अध्यधीन दी गई है।
1006 3020	बासमती चावल	ii. निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अर्थात **09.09.2025 तक** शेष यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य नहीं होगा।

अधिसूचना का प्रभावः चावल (बासमती और गैर–बासमती) निर्यातों के लिए ईआईसी/ईआईए से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, यूके, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड तक सीमित है। अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने के लिए इस आवश्यकता से छूट प्राप्त हैं।

संतोष कुमार सारंगी
10.3.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम20/ईसी/ई–फाइल/ई–18655 से जारी)